



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04052026-272231  
CG-MH-E-04052026-272231

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2107]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2026/वैशाख 14, 1948

No. 2107]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2026/VAISAKHA 14, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 21 अप्रैल, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 2194(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिला में "मध्य रेल - 3000 मीट्रिक टन लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए भुसावल-खंडवा खंड के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम का उन्नयन कार्य" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एव भू-अर्जन अधिकारी, खंडवा, जिला खंडवा मध्य प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे

सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले के अंतर्गत 01 गाँव का विशेष रेल परियोजना "मध्य रेल - 3000 मीट्रिक टन लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए भुसावल-खंडवा खंड के लिए इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन सिस्टम का उन्नयन कार्य" के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	गांव का नाम	तहसील	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे नंबर	कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	डुल्हार	छैगांव माखन	बलिराम पिता फुलचंद, राधेश्याम पिता फुलचंद, श्रीराम पिता फुलचंद, घनश्याम पिता फुलचंद, सुशिलाबाई पुत्री फुलचंद, निवासी ग्राम डुल्हार तहसील छैगांव माखन	367/2	0.80	निजी	कृषि भूमि	0.36
				कुल	0.80 (हे.आर.)			0.36 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/BSL-Khandwa Section/Dulhar Vlg/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

### MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

### NOTIFICATION

Mumbai, the 21st April, 2026

### Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

**S.O. 2194(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008), the Central Government,

after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Central Railway- Up-gradation work of Electric Traction System for Bhusawal-Khandwa Section to meet 3000 MT loading target**” in the District of **Khandwa** in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Sub-Divisional Officer (Revenue) & Land Acquisition Officer, Khandwa, District Khandwa** Madhya Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

#### SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of “**Central Railway- Up-gradation work of Electric Traction System for Bhusawal-Khandwa Section to meet 3000 MT loading target**” for 01 village in the District **Khandwa** in the State of Madhya Pradesh.

SR. NO.	Village	Tehsil	Land Owners Name according to 7/12	Survey No./ Gatt No.	Total Area (Ha.)	Land Type	Nature of Land	Acquisition Area (Ha.)
1	Dulhar	Chhaigaon Makhan	Baliram pita Phulchand, Radheshyam pita Phulchand, Shriram pita Phulchand, Ghanshyam pita Phulchand, Sushilabai putri Phulchand Nivasi gram Dulhar Tehsil Chhaigaon Makhan	367/2	0.80	Private	Agricultural	0.36
				<b>Total</b>	<b>0.80 (Ha.)</b>			<b>0.36 (Ha.)</b>

[F. No. G197/BSL-Khandwa Section/Dulhar VIg/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)